न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 10 / 2024

अपीलांट	**बनाम**	**रेस्पोटेन्ट**
रविशंकर सारस्वत पूर्व पटवारी, पटवार मण्डल झंवर तहसील–लूणी जिला जोधपुर, हाल पटवारी तहसील कार्यालय, बीदासर जिला चुरू।		जिला कलेक्टर (भू0अ0) जोधपुर

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर (भू0.अ0) जोधपुर के भू0अ0 / स्थापना / 2020 / 7769 दिनांक 23.09.2020 जिसके द्वारा सीसीए 16 के तहत अपीलान्ट की तीन वेतनवृद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

उपस्थितिः––

1. **अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।**
2. **विभागीय पैरोकार तहसीलदार, झंवर पूजा चौधरी उपस्थित।**

निर्णय

दिनांकः 12 मई,2025

1. अपीलान्ट ने यह विभागीय अपील नियम 23 राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 के तहत जिला कलेक्टर (भू0.अ0) जोधपुर के भू0अ0 / स्थापना / 2020 / 7769 दिनांक 23.09.2020, के द्वारा सीसीए 16 के तहत अपीलान्ट की तीन वेतनवृद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया, के विरूद्ध दिनांक 16.8.2024 को इस कार्यालय के समक्ष पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर जोधपुर से अपील पर टिप्पणी एवं उनका मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. तत्पश्चात उपस्थित अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार तहसीलदार, झंवर पूजा चौधरी को सुना गया। अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलान्ट के पटवार मण्डल झंवर, तहसील लूणी में पदस्थापन रहने के

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दौरान श्रीमान जिला कलेक्टर, जोधपुर ने ज्ञापन क्रमांक 759 दिनांक 29.01.2018 के द्वारा अपीलान्ट को निम्न आरोपों से आरोपित कियाः–

आरोप संख्या एक–

यह है कि आप श्री रविशंकर सारस्वत, पटवारी पटवार मण्डल, झंवर में पदस्थापित रहते हुए आप द्वारा राज0 भू–राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अनुसार ढालबांछ 15 मई तक दर्ज करवाकर माह नवम्बर, 2017 तक कुल राजस्व मांग राशि रूपये 4100/– की 80 प्रतिशत रकम राजकोष में जमा करवाया जाना था,परन्तु आपने न तो आज दिनांक तक ढाल–बांछ दर्ज करवाई और न ही राजकोष में राशि जमा करवाई। आपका उक्त कृत्य घोर लापरवाही व उदासीनता का द्योतक है जिसके लिये आप दोषी है। आपका उक्त कृत्य निन्दनीय व दण्डनीय है।

आरोप संख्या दो–

यह है कि आप श्री रविशंकर सारस्वत, पटवारी पटवार मण्डल, झंवर में पदस्थापित रहते हुए जमाबन्दी, सेग्रीगेशन एवं कृषि आदान–प्रदान सूचियां व कृषि गणना अनुसूची व कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया, न ही इसकी रिपोर्ट पेश की, जिसके लिये आपका उक्त कृत्य घोर लापरवाही व उदासीनता का द्योतक है जिसके लिये आप दोषी है। आपका उक्त कृत्य निन्दनीय व दण्डनीय है।

आरोप संख्या तीन–

यह है कि आप श्री रविशंकर सारस्वत, पटवारी पटवार मण्डल, झंवर में पदस्थापित रहते हुए अधिकारियों के आदेशों की पालना नहीं करना, नोटिसेज का जवाब नहीं देना तथा मुख्यमंत्री फलेगशीप योजनाओं हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जॉच नहीं करना आदि में आपका उक्त कृत्य घोर लापरवाही व उदासीनता का द्योतक है जिसके लिये आप दोषी है। आपका उक्त कृत्य निन्दनीय व दण्डनीय है।

4. अपीलान्ट ने यह कथन किया कि उक्त आरोप पत्र मुझ अपीलान्ट के द्वारा उक्त ज्ञापन/नोटिस का प्रत्युतर प्रस्तुत किया जाकर आरोपित आरोपों को अस्वीकार करते हुए संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त करने एवं आरोप मुक्त करने का निवेदन किया था, जिस पर जिला कलेक्टर महोदय जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 27.08.2018 के द्वारा प्रकरण में विस्तृत जॉच करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, लूणी को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। जॉच अधिकारी ने जॉच कार्यवाही पूर्ण करते हुए अपना जॉच प्रतिवेदन जिला

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

कलेक्टर जोधपुर को दिनांक 10.07.2020 को प्रेषित किया गया। जॉच अधिकारी ने उक्त जॉच प्रतिवेदन में अपीलान्ट पर आरोपित आरोपों को प्रमाणित माना। तत्पश्चात जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा अपीलान्ट की व्यक्तिगत सुनवाई करने के उपरान्त अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2020 के द्वारा अपीलान्ट को उनकी तीन वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है जिसके विरूद्ध यह विभागीय अपील श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 16.08.2024 को प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सारभूत आधार व ठोस आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है जिसमें अपीलार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2020 एक कठोरतम व मुझ अपीलार्थी के सेवा सम्बन्धी भविष्यगामी कठोरतम प्रभावकारी होने से यह अपील प्रस्तुत की है। विभागीय जॉच कार्यवाही के दौरान अपीलान्ट के द्वारा जॉच अधिकारी को अपना प्रत्युतर पेश किया गया था, जिस पर उपस्थापक अधिकारी के द्वारा आरोपित आरोपों के प्रमाणीकरण के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने के उपरान्त भी जॉच अधिकारी के द्वारा जॉच प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को प्रेषित कर दिया गया जो कि वास्तविक तथ्यों के विपरित था, उसके बावजूद भी जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा एकपक्षीय दण्डादेश पारित कर दिया जो कि निरस्त करने योग्य है।

6. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि तहसीलदार, लूणी के द्वारा सन्देह और शंका के आधार पर आधारित एकपक्षीय, गुमराह पूर्ण प्राथमिक जॉच प्रतिवेदन श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर को प्रेषित कर दिया गया और जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा बिना किसी प्रकार की न्यायिक दृष्टि रखते हुए आदेश पारित कर दिया गया है जो कि निरस्त करने योग्य है। जैसा कि चन्द्रदत्त बनाम जिलाधीश कलकत्ता 1979(1) एसएलआर 44 तथा सुरेशचन्द्रदास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1982, एससी, 574, 1981 (3) एसएलआर 137/681 में माननीय न्यायालयों द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। फलस्वरूप प्रथम तौर पर गलत आधारयुक्त कार्यवाही पर पारित दण्डादेश दिनांक 23.9.2020 खारिज योग्य होने से निरस्त किया जावें।

7. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि विभागीय जॉच प्रस्ताव तहसीलदार लूणी के द्वारा अपीलान्ट से द्वेषभावना रखते हुए एकपक्षीय रूप से प्रस्तावित की गई थी। आरोपित आरोप में अंकित पटवारी लेवल के कार्य विभागीय जॉच कार्यवाही के समय तक

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

लम्बित चल रहे थे परन्तु उक्त कार्यो के विलम्ब के सम्बन्ध में तहसीलदार के द्वारा केवल मात्र मुझ अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय जॉच प्रस्तावित कर दी गई, जो कि पूर्व धारणा के आधार पर तैयार किये गये थे। इसके अलावा विभागीय जॉच अधिकारी ने जॉच प्रस्तावना के समय प्रस्तावित साक्ष्य परिशिष्ट 'अ' में अंकित किसी भी गवाह साक्ष्य के बयान तथा रिकार्ड को प्रदर्श नहीं करवाया गया। इसके उपरान्त भी जॉच अधिकारी द्वारा आरोपों के सम्बन्ध में विभागीय पक्ष से किसी प्रकार का लिखित, रिकार्ड साक्ष्य अथवा गवाह साक्ष्य प्राप्त किये बिना ही आरोपित आरोपों को प्रमाणित मान लिया गया, जो जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है। जॉच अधिकारी के द्वारा विस्तृत जॉच में, जॉच प्रकिया सीसीए नियम 16 (6)(7)(8) की पूर्ण अवहेलना कर जॉच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया जो प्रथम रूप से ही दूषित प्रकिया आधारित प्रतिवेदन है।

8. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि व्यक्तिगत सुनवाई तिथी के समय भी जॉच अधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई है, ऐसे में सीसीए नियमों का उल्लंघन होने से मुझ पटवारी के हित पूर्ण रूप से प्रभावित हुए है और अपीलान्ट व्यक्तिगत सुनवाई पर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। अपीलाधीन आदेश सीसीए नियम 16 के उपनियम 9 की व्यवस्था/व्याख्या के अनुसार न होकर पूर्ण धारणा व ज्ञापन के तथ्यों पर आधारित निर्णय होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट ने उक्त दण्डादेश के विरूद्ध अपील पेश करने हेतु कार्यवाही करने के लिये जिला कलेक्टर कार्यालय से रिकार्ड/पत्रावली/निर्णय की प्रति बार–बार चाही जाने पर भी उपलब्ध नहीं करवाई गई, तब अपीलान्ट ने दिनांक 31.7.2024 को सूचना के अधिकार अधिनियम में भी जॉच अधिकारी की जॉच पत्रावली मय ऑर्डरशीट व समस्त प्रस्तुत पत्रादि गवाह आदि की प्रतियॉ उपलब्ध नहीं करवाई गई। ऐसे में अपीलान्ट अपील विलम्ब से पेश कर पाया है। इसके अलावा सन् 2021 में अधिकांश अवधि कोरोना काल से प्रभावित होने से निर्णय प्रति, इससे सम्बन्धित रिकार्ड की प्रतियॉ प्राप्त नहीं की जा सकी। सन् 2022 में अपीलान्ट के माताजी के स्लीपडिस्क बीमारी होने से अपीलान्ट प्रभावित होने व उनके ईलाज में व्यस्त व चिन्ताग्रस्त रहने के कारण रिकार्ड की प्रतियॉ समय पर नहीं मिलने से तथा वर्ष 2023 में अपीलान्ट का जिला चुरू में स्थानान्तरण हो जाने के कारण उक्त अपील समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी। वर्ष 2024 में प्रथम माह में अपीलान्ट की पत्नी के स्लीपडिस्क बीमारी के ईलाज करवाने के कारण भी अपील पेश करने में विलम्ब हुआ। अपीलान्ट को अन्तिम रूप से रिकार्ड एवं जॉच

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पत्रावली की आंशिक रूप से प्रतियॉ दिनांक 31.07.2024 को प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने यह अपील तैयार करते हुए श्रीमान के न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। अतः अपीलान्ट का निवेदन है कि अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए उपरोक्त समस्त आधारों पर गौर फरमाते हुए अपील को गुणावगुण पर सुनवाई करते हुए अपील को स्वीकार करते हुए जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2020 को निरस्त किया जावें।

9. प्रत्युतर में दौराने बहस उपस्थित रहे विभागीय पैरोकार, तहसीलदार, झंवर पूजा चौधरी ने जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किये गये दण्डादेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया तथा जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा अपील पर प्रेषित टिप्पणी को ही अपनी बहस माने जाने का कथन किया गया।

10. विभागीय पैरोकार ने दौराने सुनवाई उपरोक्त टिप्पणी के अनुसार यह कथन किया कि अपीलान्ट पटवारी पर आरोपित किये गये आरोपों के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, लूणी से विभागीय जॉच करवाई गई थी जिसमें जॉच अधिकारी के द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित आरोपों को प्रमाणित माना था, जिसके आधार पर श्रीमान जिला कलेक्टर के द्वारा अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश के द्वारा उनकी तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गई है, जो उचित होने से यथावत रखे जाने योग्य है। अपीलान्ट के द्वारा उल्लेखित कार्य समय पर नहीं कर देरी से पूर्ण किये गये एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों/निर्देशों की पालना नहीं करना, जारी नोटिसेज का जवाब नहीं देना, मुख्यमंत्री फ्लैगशीप योजनाओं के आवेदनों की समय पर जॉच नहीं करना इत्यादि राजकीय कार्यो में लापरवाही व उदासीनता बरती गई है, जिस हेतु तहसीलदार, लूणी के द्वारा अपीलान्ट को पूर्व में भी सख्त हिदायत दी गई थी। इस आधार पर भी आरोपित आरोप प्रमाणित होते है।

11. विभागीय पैरोकार ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अपील में उल्लेखित कथन सारहीन व आधारहीन है क्योंकि अपीलान्ट के द्वारा जॉच प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त करने तथा रेकर्ड निरीक्षण करने के सम्बन्ध में कोई आवेदन जिला कार्यालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। श्रीमान जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2020 के द्वारा

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट की 3 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का जो दण्डादेश पारित किया गया है वो यथावत रखा जावें तथा अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

12. हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार के द्वारा दौराने बहस प्रकट किये गये तथ्यों पर गहनता से चिंतन मनन किया तथा अपील, अपील पर प्रेषित टिप्पणी, जिला कलेक्टर, जोधपुर की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया, जिससे यह पाया गया है कि जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित आरोपों के सम्बन्ध में सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उपखण्ड अधिकारी लूणी को जॉच अधिकारी नियुक्त करते हुए विभागीय जॉच कार्यवाही सम्पादित करवाई गई है। जॉच अधिकारी के द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित तीनों आरोपों को प्रमाणित होना बताया है। तत्पश्चात जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा अपीलान्ट की व्यक्तिगत सुनवाई करने के उपरान्त उनकी तीन वार्षिक वेतनवृद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोके जाने के अपीलाधीन आदेश से दण्डित किया गया है।

13. अपीलान्ट के द्वारा आरोपित आरोपों में अंकित राजकीय कार्यो के सम्पादन में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलान्ट के स्तर पर विलम्ब नहीं किया गया हो अथवा उसकी कोई भूमिका नहीं रही हो, ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य न तो अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली में दर्शित है और न ही इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि उन पर आरोप आरोपित करने से पूर्व उल्लेखित कार्यो को उनके द्वारा विभागीय कार्य हेतु नियत समय–सीमा में पूर्ण कर दिया गया था या आरोप पत्र जारी करने के उपरान्त भी उनके स्तर पर इस हेतु विशेष प्रयास किये जाकर कार्य पूर्ण करते हुए पालना रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत कर दी गई हो। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में उनके प्रकरण में की गई विभागीय जॉच कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में ही आपत्तियॉ दर्शाई गई है। अपीलान्ट के द्वारा उन पर आरोपित किये गये आरोपों को निरस्त करने अथवा खारिज किये जाने बाबत किन्हीं तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही अपने पक्ष में कोई दस्तावेजात इत्यादि पेश किये गये है।

14. अपीलान्ट के द्वारा यह अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2020 के विरूद्ध दिनांक 16.08.2024 को लगभग 3 वर्ष 11 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। उक्त विलम्ब को क्षम्य किये जाने के सम्बन्ध में अपीलान्ट के द्वारा जो कथन उल्लेखित किये गये है, वह स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हो सकते है क्योंकि अपीलान्ट के द्वारा इस बाबत कोई विधिक दस्तावेज तथा साक्ष्य भी अपील के साथ संलग्न पेश नहीं किये गये है। इस

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने एवं एवं दस्तावेजों के गहनता से गौर किये जाने के उपरान्त जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2020 में किसी प्रकार की विधि त्रुटि नहीं होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है तथा अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

15. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2020 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 12 मई, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त जोधपुर